भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1140
दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एएमडी-सीएफ योजना के अंतर्गत सहायता

1140. श्री. कृष्णपालसिंह यादवः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः
डॉ. सुजय विखे पाटीलः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों की पहचान करने और उनका चयन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है जो 'आम सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों के लिए सहायता' (एएमडी-सीएफ) योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र होंगे और यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने क्लस्टरों के उक्त योजना के लिए योग्य होने संबंधी कोई विशिष्ट मानदंड अथवा आवश्यकताएं निर्धारित की हैं और यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निधि के उपयोग और ऐसी योजना के समग्र प्रभाव की निगरानी के लिए कोई उपाय किए हैं/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का चिकित्सा उपकरण पार्कों में विनिर्माण इकाइयों के मौजूदा प्राकृतिक समूहों से योजनाबद्ध समूहों में पलायन को रोकने के लिए उपाय किए हैं/ करने का विचार है, जिससे उद्योग के पारिस्थितिकी तंत्र और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा आ सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) विभाग ने भारत में चिकित्सा उपकरण समूहों की पहचान करने के लिए "चिकित्सा उपकरण समूहों का सर्वेक्षण" का अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए विवरण **अनुलग्नक** के रूप में दिया गया है।

(ख) "साझा सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को सहायता (एएमडी-सीएफ)" योजना के अंतर्गत दो उप-योजनाएं अर्थात "साझा सुविधाओं के लिए सहायता (एसीएफ)" एवं "परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता (एटीएफ)" हैं। इन उप-योजनाओं के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करने के मानदंड इस प्रकार हैं:-

उप-योजना "साझा सुविधाओं के लिए सहायता (एसीएफ)" के अंतर्गत किसी भी क्लस्टर में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाइयां परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) बनाएंगी।" एसपीवी के सदस्यों के रूप में न्यूनतम 5 चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाइयां होंगी। यदि राज्य सरकार द्वारा किसी क्लस्टर को संवर्धित किया जाता है, तो ऐसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार की निगरानी के साथ भारतीय कानून के अंतर्गत एक कानूनी इकाई होगी और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। एसपीवी या कार्यकारी समिति में क्लस्टर सदस्यों, वित्तीय संस्थानों, राज्य/केंद्र सरकार और अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रतिनिधि होंगे। व्यक्तिगत विनिर्माण इकाई एसपीवी में 40% से अधिक हिस्सा नहीं रख सकती है। चिकित्सा उपकरण उद्यम एसपीवी की कम से कम 51% इक्विटी धारण करेंगे। एसपीवी के सदस्यों का संयुक्त निवल मूल्य आवेदित कुल अनुदान राशि के बराबर होगा और प्रत्येक एसपीवी सदस्य के पास उनके प्रस्तावित इक्विटी योगदान का कम से कम 1.5 गुना शुद्ध मूल्य होना चाहिए। एसपीवी सदस्य कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के लेखा मानक (एएस) 18 के अंतर्गत वर्णित एक दूसरे के साथ किसी भी संबंधित-पार्टी संबंध के बिना कानूनी रूप से स्वतंत्र संस्थाएं होंगी।

उप-योजना "परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता (एटीएफ)" के अंतर्गत एमडीआर, 2017 के अंतर्गत इन-विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरणों सहित श्रेणी क, ख, ग और घ चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने या सशक्त करने के इच्छुक कोई भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी या निजी संस्थान पात्र हैं। भारतीय कानून के अंतर्गत

ऐसी कानूनी इकाई उप-योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली निधियों के लिए एक अलग खाता खोलेगी।

(ग) विभाग ने "साझा सुविधा योजना के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को सहायता (एएमडी-सीएफ)" के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार एवं अनुमोदन के लिए और योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में एक योजना संचालन समिति का गठन किया, जिसमें सदस्य के रूप में भारत के औषधि महानियंत्रक के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हैं।

(घ) इस एएमडी-सीएफ योजना का उद्देश्य साझा अवसंरचना सुविधाओं के विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके विद्यमान और नए चिकित्सा उपकरण समूहों को सशक्त करना है जो घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने, समूहों की गुणवत्ता में सुधार और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के सतत विकास में मदद करेगा।

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	चिकित्सा उपकरण क्लस्टर	क्लस्टर का स्थान
1	उत्तर प्रदेश	आगरा	यूपीएसआईडीसी, सिकन्दरा, आगरा,
2.		नोएडा	गौतमबुद्ध
3.		साहिबाबाद	गाजियाबाद साहिबाबाद, गाजियाबाद
4		कानपुर	काकादेव, कानपुर
5.		लखनऊ	हजरतगंज, लखनऊ
6.		मेरठ	शास्त्री नगर, मेरठ
7.	महाराष्ट्र	अंबरनाथ, पुणे	एमआईडीसी आनंदनगर, अंबरनाथ, पुणे
8.		सतपुर, नासिक	मालेगांव सिन्नर एमआईडीसी, नासिक
9.		सिन्नार, नासिक	मालेगांव सिन्नर एमआईडीसी, नासिक
10.		भिवंडी	कल्याण-भिवंडी रोड, भिवंडी

राज्य मध्य प्रदेश में किसी चिकित्सा उपकरण क्लस्टर की पहचान नहीं की गई है।

*****